तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुनील कुमार. बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 186/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी सुनील कुमार जाणी निवासी म.नं. 08, गली नं. 4,कैलाश नगर एयरपोर्ट रोड़, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.03.2022 के द्वारा सूचना लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 907 दिनांक 01.07.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर से संबंधित होने के कारण धारा 6(3) के जरिये जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर को अधिनियिम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित करते हुए प्रार्थी को सूचना सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। चूंकि प्रार्थी का आवदेन विधिक प्रकिया के तहत जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधुपर को स्थानान्तरित किया जा चुका है अतः जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी को अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई हो, तो चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	